IndiaCode

# भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

**(2018 का अधिनियम संख्यांक 17)**

**[31 जुलाई, 2017]**

**भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता से बाहर रहते हुए भारत में विधि की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए, भारत में विधि के शासन की पवित्रता की परिरक्षा के लिए, उपाय करने का और उससे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

## प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 21 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

**2.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रशासक'' से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) ''बेनामी संपत्ति'' और ''बेनामी संव्यवहार'' का वही अर्थ होगा, जो बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (8) और खंड (9) में क्रमश: उनका है;

1988 का 45

(ग) ''संविदाकारी राज्य'' से भारत के बाहर कोई देश या ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उस राज्य की सरकार के साथ किसी संधि के माध्यम से या अन्यथा ठहराव किए गए हैं;

(घ) ''उप निदेशक'' से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उप निदेशक अभिप्रेत है; 2003 का 15

(ङ) ''निदेशक'' से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है; 2003 का 15

(च) ''भगोड़ा आर्थिक अपराधी'' से ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध भारत में किसी न्यायालय द्वारा किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है—

(i) जिसने दांडिक अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है; या

(ii) भारत के बाहर रह रहा है और दांडिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत लौटने से इंकार कर दिया है;

(छ) ''प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक'' का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (51) में है; 2013 का 18

(ज) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(झ) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई न्यास;

(v) कोई भागीदारी;

(vi) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(vii) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं;

(viii) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती किसी उपखंड में नहीं आता हो; और

(ix) पूर्ववर्ती उपखंडों में वर्णित पूर्वोक्त किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई अभिकरण, कार्यालय या शाखा;

(ञ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) ''अपराध के आगम'' से किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में दांडिक क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अभिप्राप्त कोई भी संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य अभिप्रेत है या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या धारित की गई हो, वहां देश में या देश के बाहर धारित मूल्य के समतुल्य संपत्ति अभिप्रेत है;

(ठ) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुसूचित अपराध'' से अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध अभिप्रेत है, यदि ऐसे अपराध या अपराधों में सम्मिलित कुल मूल्य एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक है;

(ढ) ''विशेष न्यायालय'' से धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। 2003 का 15

IndiaCode

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अधिनियम में क्रमशः उनका है।

2003 का 15

अधिनियम का लागू होना।

**3.** इस अधिनियम के उपबंध ऐसे किसी व्यष्टि को लागू होंगे, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् भगोड़ा आर्थिक अपराधी है या हो जाता है।

**अध्याय 2**

## भगोड़े आर्थिक अपराधियों की घोषणा और संपत्ति की जब्ती

भगोड़े आर्थिक अपराधी की घोषणा के लिए आवेदन और उसके लिए प्रक्रिया।

**4.** (1) जहां निदेशक या इस धारा के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक की श्रेणी से अनिम्न किसी अन्य अधिकारी के पास, उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण (ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध किया जाना है) है कि कोई व्यष्टि भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, तो वह विशेष न्यायालय में ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन फाइल कर सकेगा कि ऐसे व्यष्टि को भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित किया जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे—

(क) यह विश्वास करने के कारण कि कोई व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है;

(ख) भगोड़े आर्थिक अपराधी के ठिकाने के बारे में उपलब्ध कोई भी सूचना;

(ग) संपत्तियों की सूची या ऐसी संपत्तियों का मूल्य, जिनका अपराध के आगम होने का विश्वास है, जिसके अंतर्गत भारत के बाहर कोई ऐसी संपत्ति भी है, जिसकी जब्ती चाही गई है;

(घ) उक्त व्यष्टि की भारत में या भारत के बाहर स्वामित्वाधीन ऐसी संपत्तियों या उसकी बेनामी संपत्तियों की सूची, जिनकी जब्ती चाही गई है; और

(ङ) ऐसे व्यक्तियों की सूची, जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन सूचीबद्ध किसी संपत्ति में हितबद्ध हों।

(3) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण होंगे।

2003 का 15

संपत्ति की कुर्की।

**5.** (1) निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक की श्रेणी से अनिम्न कोई अन्य अधिकारी विशेष न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लिखित आदेश द्वारा धारा 4 के अधीन आवेदन में वर्णित किसी भी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) या धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक की श्रेणी से अनिम्न कोई अन्य अधिकारी लिखित आदेश द्वारा धारा 4 के अधीन आवेदन फाइल करने से पहले किसी भी समय किसी ऐसी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा,—

(क) जिसके लिए यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त संपत्ति अपराध का आगम है या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, स्वामित्वाधीन संपत्ति या बेनामी संपत्ति है; और

(ख) जिसका ऐसी रीति में निपटान किया जा रहा है या किया जाना संभाव्य है, जिसका परिणाम जब्ती के लिए संपत्ति का उपबंध नहीं होना है:

परंतु निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जो इस उपधारा के अधीन किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर धारा 4 के अधीन विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल करेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की, कुर्की के आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के लिए या ऐसी अन्य अवधि के लिए, जो ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व विशेष न्यायालय द्वारा बढ़ा दी जाए, जारी रहेगी।

IndiaCode

(4) इस धारा की कोई बात उपधारा (1) के अधीन कुर्क की गई अचल संपत्ति के उपभोग में हितबद्ध व्यक्ति को ऐसे उपभोग से नहीं रोकेगी।

**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी अचल संपत्ति के संबंध में ''हितबद्ध व्यक्ति'' पद के अंतर्गत उक्त संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं।

निदेशक और अन्य अधिकारियों की शक्तियां।

**6.** निदेशक या धारा 4 के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य अधिकारी के पास वहीं शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों की बाबत होती हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत किसी रिपोर्ट करने वाली इकाई का कोई अधिकारी भी है, हाजिर कराना और उनकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ग) अभिलेखों को पेश करने के लिए विवश करना;

(घ) शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की जांच करने के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

सर्वेक्षण की शक्ति।

**7.** (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण (ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध किया जाना है) है कि कोई व्यष्टि भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, तो वह किसी स्थान में—

(i) उसे सौंपे गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, प्रवेश कर सकेगा; या

(ii) जिसके लिए इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत है, जिसे इस क्षेत्र को समनुदेशित किया गया है, जिसके भीतर ऐसा स्थान अवस्थित है, प्रवेश कर सकेगा।

(2) जहां निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण (ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध किया जाना है) है कि कोई व्यष्टि भगोड़ा आर्थिक अपराधी है और उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट किसी स्थान में प्रवेश करना आवश्यक है, तो वह किसी स्वत्वधारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति, जो उस समय उपस्थित हो, से अनुरोध कर सकेगा कि,—

(क) उसे ऐसे अभिलेखों का, जैसा कि वह अपेक्षा करे और जो ऐसे स्थानों पर उपलब्ध हों, निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए;

(ख) उसे अपराध के आगमों या अपराध के आगम से संबंधित संव्यवहार, जो वहां पाया जाए, की जांच या सत्यापन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए; और

(ग) उसे ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे, जिसकी वह किसी मामले के लिए अपेक्षा करे, जो उपयोगी हो या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से सुसंगत हों।

(3) निदेशक या इस धारा के अधीन कार्य करने वाला कोई अन्य अधिकारी—

(i) उसके द्वारा निरीक्षण किए गए अभिलेखों पर पहचान चिह्न लगा सकेगा और उनसे उद्धरण या उनकी प्रतियां लेगा या लेना कारित करेगा;

(ii) उसके द्वारा जांच की गई या सत्यापित किसी संपत्ति की सूची तैयार कर सकेगा; और

(iii) संपत्ति पर उपस्थित किसी व्यक्ति के कथन को अभिलिखित करेगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में उपयोगी या सुसंगत हो सकेगा।

IndiaCode

तलाशी और अभिग्रहण।

**8**. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक की पंक्ति से अनिम्न अन्य अधिकारी के पास इस धारा के प्रयोजनों के लिए उसके कब्जे में की सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण (ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा) है कि किसी व्यक्ति–

(i) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है;

(ii) के कब्जे में अपराध के आगम है;

(iii) के कब्जे में ऐसे अभिलेख हैं जो अपराध के आगमों से संबंधित है; या

(iv) के कब्जे में कोई संपत्ति है जो अपराध के आगमों से संबंधित है,

तब वह इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को—

(क) वह किसी भवन, स्थान, जलयान, यान या वायुयान में जहां उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे अभिलेख या अपराध के आगम रखे गए हैं, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बाक्स, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य आधान के ताले को, जब उनकी चाबियां उपलब्ध नहीं हों, तोड़ सकेगा;

(ग) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा;

(घ) ऐसे अभिलेख या संपत्ति पर पहचान चिह्न लगा सकेगा, यदि आवश्यक हो या उनसे उद्धरण लेगा या उनकी प्रतियां बनाएगा या बनाना कारित कर सकेगा;

(ङ) ऐसे अभिलेख या संपत्ति को नोट करेगा या सूची बनाएगा; और

(च) किसी व्यक्ति की जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई अभिलेख या संपत्ति पाई जाती है, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सभी सुसंगत विषयों के संबंध में शपथ पर जांच करेगा।

(2) जहां किसी प्राधिकारी का धारा 7 के अधीन सर्वेक्षण के दौरान अभिप्राप्त जानकारी के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्ष्य को छिपाया जाएगा या उसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी या ऐसा करने की संभावना है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए भवन या स्थान में, जहां ऐसा साक्ष्य अवस्थित है, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा तथा साक्ष्य का अभिग्रहण कर सकेगा।

व्यक्तियों की तलाशी।

**9**. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) यदि किसी प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, के पास यह विश्वास करने का कारण (ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा) है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं के बारे में या उसके कब्जे, स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी अभिलेख या अपराध के आगमों को छिपाया है, जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोगी या सुसंगत हो सकेंगे तो वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा और ऐसे अभिलेख या संपत्ति का अभिग्रहण कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोगी या सुसंगत हो;

(ख) जहां प्राधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, यदि ऐसा व्यक्ति अपेक्षा करे, तो वह ऐसे व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर निकटतम राजपत्रित अधिकारी जो रैंक में उससे ऊपर हो या किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा:

परंतु चौबीस घंटे की अवधि में, ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी जो रैंक में उससे ऊपर हो या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ले जाने के लिए लगने वाली अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा;

(ग) यदि खंड (ख) के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है तो प्राधिकारी, राजपत्रित अधिकारी जो रैंक

में उससे ऊपर हो या उस खंड में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे ले जाने से पूर्व चौबीस घंटे से अधिक उस व्यक्ति को निरुद्ध नहीं करेगा:

परंतु चौबीस घंटे की अवधि में, ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी जो रैंक में उससे ऊपर हो या मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ले जाने के लिए लगने वाली अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा;

(घ) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है, यदि तलाशी के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं पाता है तो वह तुरंत ऐसे व्यक्ति को मुक्त कर देगा किंन्तु अन्यथा वह तलाशी किए जाने का निदेश देगा;

(ङ) खंड (क) या खंड (घ) के अधीन तलाशी करने से पूर्व प्राधिकारी तलाशी में उपस्थित होने और उसके साक्ष्य के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को बुलाएगा और तलाशी ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में की जाएगी;

(च) प्राधिकारी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहण किए गए अभिलेख या संपत्ति की सूची तैयार करेगा और सूची पर साक्षियों के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;

(छ) किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ली जाएगी; और

(ज) प्राधिकारी खंड (क) या खंड (घ) के अधीन तलाशी लिए गए व्यक्ति का पाए गए अभिलेखों या अपराध के आगमों या तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहण के संबंध में कथन अभिलिखित करेगा।

नोटिस।

**10.** (1) जहां धारा 4 के अधीन कोई आवेदन सम्यक् रूप से फाइल किया जाता है, विशेष न्यायालय किसी व्यष्टि को जो, अभिकथित भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, को नोटिस जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस किसी अन्य व्यक्ति को भी जारी किया जाएगा जिसका धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन में वर्णित संपत्ति में कोई हित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन सूचना में—

(क) व्यष्टि से विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर ऐसी सूचना जारी करने की तारीख से छह सप्ताह से अन्यून पर उपस्थित होने की अपेक्षा होगी; और

(ख) यह कथन होगा कि विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल होने का परिणाम व्यष्टि के भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने और इस अधिनियम के अधीन संपत्ति के अधिहरण में होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नोटिस को संविदाकारी राज्य में तामील करने के लिए ऐसे प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा जैसा केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी दो सप्ताह की अवधि के भीतर नोटिस की तामील करने के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रयास करेगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन नोटिस की तामील अभिकथित भगोड़े आर्थिक अपराधी को इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से—

(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139क के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए किए गए आवेदन के संबंध में प्रस्तुत इलैक्ट्रोनिक मेल पर भी की जाएगी; 1961 का 43

(ख) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों का लक्ष्यित परिदान, फायदे और सेवाएं) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अधीन नामांकन के लिए आवेदन के संबंध में प्रस्तुत उसके इलैक्ट्रोनिक मेल पर भी की जाएगी; या 2016 का 18

(ग) किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक एकाउंट में, जो विहित किया जाए, विशेष न्यायालय के समाधान के अधीन रहते हुए कि ऐसे एकाउंट को व्यष्टि द्वारा हाल ही में एक्सेस किया गया है, जो व्यष्टि से संबंधित हो,

जिसको उसके द्वारा इंटरनेट पर एक्सेस किया गया है और जो व्यष्टि को नोटिस की संसूचना की युक्तियुक्त विधि का गठन करता है।

आवेदन पर सुनवाई की प्रक्रिया।

**11.** (1) जहां ऐसा कोई व्यष्टि, जिसे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है, सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होता है, वहां विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को समाप्त कर सकेगा।

(2) जहां ऐसा कोई व्यष्टि, जिसे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है, सूचना में विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर हाजिर होने में असफल रहता है, किंतु काउंसेल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाता है, वहां विशेष न्यायालय अपने विवेकानुसार धारा 4 के अधीन आवेदन का उत्तर फाइल करने के लिए एक सप्ताह की अवधि प्रदान कर सकेगा।

(3) जहां ऐसा कोई व्यष्टि, जिसे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई है, व्यक्तिगत रूप से या काउंसेल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाने में असफल रहता है और विशेष न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) ऐसे पक्षकार पर सूचना की तामील कर दी गई है; या

(ख) सूचना की भरसक प्रयासों के बावजूद भी तामील नहीं की जा सकी है, क्योंकि ऐसा व्यष्टि सूचना की तामील से बचा है,

वहां वह कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन पर सुनवाई करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(4) विशेष न्यायालय, ऐसे व्यक्ति को भी, जिसको धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन सूचना जारी की गई है, धारा 4 के अधीन आवेदन का उत्तर फाइल करने के लिए एक सप्ताह की अवधि प्रदान कर सकेगा।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी की घोषणा।

**12.** (1) धारा 4 के अधीन आवेदन पर सुनवाई करने के पश्चात्, यदि विशेष न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि व्यष्टि भगोड़ा आर्थिक अपराधी है तो वह, आदेश द्वारा उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, व्यष्टि को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा पर, विशेष न्यायालय आदेश कर सकेगा कि निम्नलिखित संपत्तियों में से कोई संपत्ति केंद्रीय सरकार को जब्त हो गई है,—

(क) भारत में या विदेश में अपराध के आगम, चाहे ऐसी संपत्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी के स्वामित्वाधीन है या नहीं; और

(ख) भारत में या भारत के बाहर ऐसी कोई अन्य संपत्ति, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी के स्वामित्वाधीन है या उसकी बेनामी संपत्ति है।

(3) विशेष न्यायालय का जब्ती आदेश संभव सीमा तक भारत में या विदेश में ऐसी संपत्तियों की पहचान करेगा, जो अपराध के उन आगमों को गठित करते हैं, जिन्हें जब्त किया जाना है और यदि ऐसी संपत्तियों की पहचान नहीं की जा सकती है तो अपराध के आगमों के मूल्य को परिमाणित करेगा।

(4) विशेष न्यायालय के जब्ती आदेश में भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संपत्ति, जिसे जब्त किया जाना है, को पृथक् रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।

(5) जहां विशेष न्यायालय ने उपधारा (2) के अधीन किसी संपत्ति की जब्ती के लिए आदेश किया है और ऐसी संपत्ति संविदाकारी राज्य में है, वहां विशेष न्यायालय ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए संविदाकारी राज्य में किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन संविदाकारी राज्य को पारेषित किए जाने वाला प्रत्येक अनुरोध पत्र ऐसे प्ररूप और रीति में पारेषित किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(7) विशेष न्यायालय, जब्ती आदेश करते समय किसी ऐसी संपत्ति, जो ऐसे अपराध का आगम है, जिसमें भगोड़ा आर्थिक अपराधी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति हित रखता है, की जब्ती से छूट दे सकेगा, यदि उसका यह

समाधान हो जाता है कि ऐसा हित सद्भाविक रीति में और इस तथ्य की जानकारी के बिना अर्जित किया गया था कि संपत्ति अपराध का आगम थी।

(8) जब्ती आदेश की तारीख से, जब्त की गई संपत्ति में सभी अधिकार और हक सभी विलंगमों से रहित होकर केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएंगे।

(9) जहां आगमों की समाप्ति पर, विशेष न्यायालय यह पाता है कि व्यष्टि भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है, वहां विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई या अभिगृहीत संपत्ति या अभिलेख की निर्मुक्ति का आदेश उस व्यक्ति को करेगा, जो इसे प्राप्त करने का हकदार है।

(10) जहां संपत्ति निर्मुक्त करने वाला आदेश उपधारा (9) के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा किया गया है, वहां निदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए ऐसी किसी संपत्ति या अभिलेख की निर्मुक्ति को रोक सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के अधीन अपील कार्यवाहियों के लिए सुसंगत है।

अनुपूरक आवेदन।

**13.** (1) जहां धारा 4 के अधीन आवेदन के संस्थन के पश्चात् किसी भी समय किसी ऐसी संपत्ति का पता चलता है या उसकी पहचान की जाती है, जो अपराध के आगमों का गठन करती है, या जो भारत में या विदेश में ऐसे व्यष्टि के स्वामित्वाधीन कोई संपत्ति या बेनामी संपत्ति है, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, इस अधिनियम के अधीन जब्त किए जाने की दायी है, वहां निदेशक या इस धारा के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक की श्रेणी से अनिम्न कोई अन्य अधिकारी ऐसी संपत्तियों की जब्ती की मांग करते हुए विशेष न्यायालय में अनुपूरक आवेदन फाइल कर सकेगा।

(2) धारा 4 से धारा 12 के उपबंध, यथाशक्य, ऐसे आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे धारा 4 के अधीन किसी आवेदन के संबंध में लागू होते हैं।

सिविल दावों को अनुज्ञात न करने की शक्ति।

**14.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी व्यष्टि की भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषणा पर, भारत में कोई न्यायालय या अधिकरण, उसके समक्ष किसी सिविल कार्यवाही में, ऐसे व्यष्टि को कोई सिविल दावा प्रस्तुत करने या उसकी प्रतिरक्षा करने से अननुज्ञात कर सकेगा; और

(ख) भारत में कोई न्यायालय या अधिकरण, उसके समक्ष किसी सिविल कार्यवाही में, किसी सिविल दावे को प्रस्तुत करने या उसकी प्रतिरक्षा करने से किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी को अननुज्ञात कर सकेगा, यदि कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या संप्रवर्तक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या कंपनी के बहुमत शेयर धारक या सीमित दायित्व भागीदारी में नियंत्रणकारी हित रखने वाले व्यक्ति की ओर से दावा फाइल करने वाले व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित किया गया है।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''कंपनी'' पद से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम भी हैं; और

(ख) ''सीमित दायित्व भागीदारी'' पद का वही अर्थ होगा, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में उसका है। 2009 का 6

इस अधिनियम के अधीन जब्त की गई संपत्तियों का प्रबंध।

**15.** (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, अपने अधिकारियों में से उतने अधिकारी (जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी के हों) नियुक्त कर सकेगी, जो वह प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी संपत्ति को प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा, जिसके संबंध में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन आदेश किया गया है।

IndiaCode

(3) प्रशासक धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित संपत्ति का व्ययन करने के लिए ऐसे उपाय भी करेगा जो केन्द्रीय सरकार निदेश दे:

परंतु केंद्रीय सरकार या प्रशासक धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन आदेश की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के लिए किसी संपत्ति का व्ययन नहीं करेगा।

**अध्याय 3**

## प्रकीर्ण

साक्ष्य के नियम।

**16.** (1) यह साबित करने का कि—

(क) व्यष्टि भगोड़ा आर्थिक अपराधी है; या

(ख) संपत्ति अपराध का आगम है या ऐसी कोई अन्य संपत्ति है, जिसमें अभिकथित भगोड़ा आर्थिक अपराधी व्यष्टि हित रखता है,

सबूत का भार निदेशक या धारा 4 के अधीन आवेदन फाइल करने के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पर होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में की किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 10 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि किसी संपत्ति में कोई हित सद्भावपूर्वक और इस तथ्य की जानकारी के बिना अर्जित किया गया था, कि ऐसी संपत्ति अपराध का आगम गठित करती है, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार उस पर होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा तथ्यों के अवधारण को लागू सबूत का मानक अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता होगा।

IndiaCode

अपील।

**17.** (1) विशेष न्यायालय के किसी ऐसे निष्कर्ष या आदेश के विरुद्ध, जो एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, कोई अपील, तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर, उच्च न्यायालय को की जाएगी।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी:

परंतु उच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था:

परंतु यह और कि नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी।

अधिकारिता का वर्जन।

**18.** किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी, जिसे विशेष न्यायालय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

**19.** इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या निदेशक या उप निदेशक या निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

अनुसूची का संशोधन करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

**20.** (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची से उसमें विनिर्दिष्ट अपराध को, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उसका लोप कर सकेगी।

(2) प्रत्येक ऐसी अधिसूचना इसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्यारोही प्रभाव।

**21.** इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना।

**22.** इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

**23.** (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाइल करने का प्ररूप और रीति;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति की कुर्की की रीति;

(ग) धारा 6 के खंड (च) के अधीन अन्य विषय;

(घ) धारा 8 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण करने की प्रक्रिया;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन नोटिस तामील करने की रीति;

(च) धारा 10 की उपधारा (6) के खंड (ग) के अधीन कोई अन्य इलैक्ट्रोनिक अकाउंट;,

(छ) वह रीति और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए प्रशासक धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जब्त संपत्ति को प्राप्त करेगा और उसका प्रबंधन करेगा; और

(ज) कोई अन्य विषय, जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए या जिसके विषय में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

**24.** इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

**25.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृति।

**26.** (1) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 का निरसन किया जाता है। 2018 का अध्यादेश सं॰ 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

# अनुसूची

[धारा 2(ठ) और (ड) **देखिए**]

| धारा | अपराध का विवरण |
|---|---|

**I. भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध**

| | |
|---|---|
| इस अनुसूची में किसी अन्य अपराध के साथ पठित 120ख | आपराधिक षड्यंत्र का दंड |
| 255 | सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। |
| 257 | सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। |
| 258 | कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय। |
| 259 | सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। |
| 260 | किसी सरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। |
| 417 | छल के लिए दंड। |
| 418 | इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। |
| 420 | छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। |
| 421 | लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। |
| 422 | ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। |
| 423 | अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। |
| 424 | सम्पत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। |
| 467 | मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना। |
| 471 | कूटरचित [दस्तावेज या इलैक्ट्रोनिक अभिलेख] का असली के रूप में उपयोग में लाना। |
| 472 | धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना। |
| 473 | अन्यथा दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना। |
| 475 | धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। |
| 476 | धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। |
| 481 | मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग में लाना। |
| 482 | मिथ्या सम्पत्ति-चिह्न को उपयोग करने के लिए दण्ड। |

IndiaCode

| धारा | अपराध का विवरण |
|---|---|
| 483 | अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति-चिह्न का कूटकरण। |
| 484 | लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिह्न का कूटकरण। |
| 485 | सम्पत्ति-चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। |
| 486 | कूटकृत सम्पत्ति-चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय। |
| 487 | किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है। |
| 488 | किसी ऐसे मिथ्या चिह्न को उपयोग में लाने के लिए दण्ड। |
| 489क | करेन्सी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। |
| 489ख | कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। |
| **II. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन अपराध** | |
| 138 | खाते में निधियों की अपर्याप्तता, आदि के कारण चैक का भुनाया न जाना। |
| **III. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन अपराध** | |
| 58ख | शास्तियां। |
| **IV. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन अपराध** | |
| 9 | अपराध और शास्तियां। |
| **V. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन अपराध** | |
| 135 | शुल्क या प्रतिषिद्धताओं का अपवंचन। |
| **VI. बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) के अधीन अपराध** | |
| 3 | बेनामी संव्यवहारों का प्रतिषेध। |
| **VII. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन अपराध** | |
| 7 | लोक सेवक द्वारा पदीय कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लिया जाना। |
| 8 | लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण का लेना। |
| 9 | लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण का लेना। |
| 10 | लोक सेवक द्वारा धारा 8 या धारा 9 में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। |
| 13 | लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार। |
| **VIII. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन अपराध** | |
| धारा 24 के साथ पठित 12 क | छल साधनयुक्त और प्रवंचक युक्तियों, अंतरंगी व्यापार और प्रतिभूतियों के सारवान् अर्जन का प्रतिषेध या नियंत्रण। |
| 24 | इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अपराध। |
| **IX. धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन अपराध** | |
| 3 | धन-शोधन के लिए अपराध। |
| 4 | धन-शोधन के लिए दंड। |

IndiaCode

| धारा | अपराध का विवरण |
|---|---|
| **X. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन अपराध** | |
| धारा 30 की उपधारा (2) | सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति से कपट करने या किसी अन्य कपट के प्रयोजन से कारबार करना। |
| **XI. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अधीन अपराध** | |
| 34 | धारा 10 के उल्लंघन में अभिप्राप्त वस्तु या मुद्रा या प्रतिभूति के लिए शास्ति। |
| 35 | इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति। |
| **XII. कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन अपराध** | |
| भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 24 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की उपधारा (4) | प्राइवेट स्थापन पर प्रतिभूतियों के अभिदाय के लिए प्रस्थापना या आमंत्रण। |
| 74 | इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्वीकृत निक्षेपों, आदि का प्रतिसंदाय। |
| 76क | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 या धारा 76 के उल्लंघन के लिए दंड। |
| धारा 206 की उपधारा (4) का दूसरा परंतुक | कपट या अविधिमान्य प्रयोजन के लिए कंपनी का कारबार चलाना। |
| धारा 213 का खंड (ख) | कंपनी का उसके उधार देने वालों, सदस्यों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को धोखा देने के आशय से या अन्यथा कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए या उसके किसी सदस्य के साथ अन्यायपूर्ण रीति से कारबार करना या कंपनी की कपट या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए विरचना की गई थी। |
| 447 | कपट के लिए दंड। |
| 452 | सम्पत्ति के सदोष विधारण के लिए दंड। |
| **XIII. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 (2015 का 22) के अधीन अपराध** | |
| 51 | जानबूझकर कर अपवंचन का प्रयास करने के लिए दंड। |
| **XIV. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अधीन अपराध** | |
| 69 | उधार देने वालों के साथ कपट करने के संव्यवहारों के लिए दंड। |

IndiaCode

| धारा | अपराध का विवरण |
|---|---|
| **XV. केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अधीन अपराध** | |
| धारा 132 की उपधारा (5) | कतिपय अपराधों के लिए दंड। |

IndiaCode